रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2006/फाल्गुन 11, 1927

No. 77] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2006/PHALGUNA 11, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2006

सं. 22/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 128(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ताईवान में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न (पीओवाई) जिस पर की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2002-सीमाशुल्क, तारीख 8 फरवरी, 2002 [सा.का.नि. 92(अ), तारीख 8 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित] के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया है, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 20 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/9/2005-डीजीएडी, तारीख 20 दिसम्बर, 2005 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा आरम्भ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक, प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2002-सीमाशुल्क, तारीख 8 फरवरी, 2002 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखण्डित न किया जाए, 11 अप्रैल, 2007 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी।"।

[फा. सं. 357/1/2001-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2006

No. 22/2006-Customs

G.S.R. 128(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/9/2005-DGAD, dated the 20th December 2005, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th December, 2005, has initiated review, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said Rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Partially Oriented Yarn (POY), originating in, or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Taiwan, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2002-Customs, dated the 8th February, 2002 [published *vide* number G.S.R. 92(E), dated the 8th February, 2002], and has requested for extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of its expiry, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2002-Customs, dated the 8th February, 2002, namely :—

In the said notification, after paragraph two, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 11th day of April, 2007, unless the notification is revoked earlier.".

[F. No. 357/1/2001-TRU]

AJAY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.